# प्रतिबंधित सीरप बेचने वाले दवा विक्रेता की संपत्ति की गई कुर्क

## न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, कर्क हुई 33 लाख की संपत्ति

- बैंक खाते में जमा 5.85 लाख रुपये को किया फ्रीज
- सात माह पूर्व औषधि निरीक्षक की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा

**जासं • श्रावस्तीः** सोनवा थाने की पुलिस टीम ने न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को अवैध कफ सीरप बचने के मामले में आरोपित की 33 लाख 85 हजार 407 रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की। अवैध धन से खरीदे गए वाहनों को कुर्क कर बैंक खाते में जमा 5.85 लाख रुपये को भी फ्रीज कर दिया।

सोनवा क्षेत्र के नासिरगंज धूमबोझी निवासी माता प्रसाद नाग की नासिरगंज बाजार में दवा की दुकान है। नवंबर माह में औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता ने दुकान की जांच की तो यहां से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कोडीन फास्फेड युक्त औषधि (कफ सीरप) का क्रय-विक्रय होना पाया गया था। इसका बिल उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस मामले में 20 नवंबर को औषधि निरीक्षक की तहरीर पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने माता प्रसाद के पुत्र रोहित नाग की भी संलिप्तता पाई। मुकदमे में उनका नाम बढ़ाया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना के आदेश पर आरोपितों की ओर से आपराधिक कृत्य से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्ती व कुर्की करने की कार्रवाई की गई। सोनवा थानाध्यक्ष विशुनदेव पांडेय की टीम ने रोहित नाग की लगभग 21 लाख रुपये कीमत की स्कार्पियो व माता प्रसाद नाग की लगभग सात लाख रुपये कीमत के वाहन को जब्त किया है। दोनों वाहनों को गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार कुर्क कर स्थानीय थाने पर खड़ा किया गया है।

बैंक खाते की धनराशि को फ्रीज कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष के अलावा नासिरगंज पुलिस चौकी प्रभारी गौरव सिंह, महिला उपनिरीक्षक शिल्पी, मुख्य आरक्षी राजेंद्र पांडेय, आरक्षी सच्चिदानंद शुक्ला व आरक्षी राहुल शामिल रहे।

सोनवा थाना परिसर में खड़े कुर्क किए वाहन • जागरण